Result Mitra Daily Magazine

अनुसूचित जाति का वर्गीकरण एवं क्रिमीलेयर का सिद्धांत

हालिया संदर्भ :

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संवैधानिक खंडपीठ ने 6:1 के ऐतिहासिक फैसले के साथ आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी।
- SC ने कहा कि ऐसा करना अनुसूचित जातियों में कम प्रतिनिधित्व वाले उपवर्गों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली संवैधानिक खंडपीठ इस मामले पर निर्णय दे रही थी कि आरक्षण के उद्देश्य से SC या ST का उप वर्गीकरण स्वीकार्य है या नहीं।
- फैसला देते समय SC ने कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्य और अनुभव ऐसे संकेत देते है कि SC की सभी जातियों मे समरूपता नहीं है, ऐसे में SC की जातियों का उपवर्गीकरण जरूरी है, नहीं तो संभव है कि आरक्षण का सारा लाभ कुछ विशेष उपजातियां ही हडप ले।

- फैसले देने वाले न्यायाधीशों में CJI के अलावा बी. आर गवई, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, सतीश चंद्र शर्मा, बेला त्रिवेदी और विमलनाथ शामिल है।
- सिर्फ जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले पर असहमति जताई।

ई. वी. चिन्नैया मामला :

- 2004 के ई. वी. चिन्नैया VS आंध्र प्रदेश मामले में ने फैसला दिया था कि SC की सभी जातियाँ समरूप वर्ग की है और इसलिए इनका उपविभाजन करने की जरूरत नहीं है।
- इस फैसले में SC ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत केवल राष्ट्रपति को यह अधिसूचित करने का अधिकार है कि कौन से जातीय समूह आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- राज्यों के पास इसके साथ छेडछाड करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

मामले की जडें :

- 1975 में पंजाब सरकार ने अपने 25% अनुसूचित जाति आरक्षण को 2 भागों में विभाजित कर दिया।
- पहली श्रेणी में केवल वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों को रखा गया, जिसे उस समय भी और आज भी राज्य में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछडा माना जाता है।
- नीति के तहत SC आरक्षण में पहली श्रेणी को ज्यादा वरीयता दी जाती थी।
- दूसरी श्रेणी में शेष SC समुदाय को रखा गया था।
- यह अधिसूचना लगभग 30 वर्षों तक लागू रही।
- यह अधिसूचना कानूनी जंजाल में तब फंस गई, जब SC ने वर्ष 2004 में चिन्नैया मामले में फैसला सुनाते हुए SC के उपवर्गीकरण को रद्द कर दिया।
- चिन्नैया मामले में SC ने अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया।
- SC ने कहा कि कुछ जातियों को अनुसूचित इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता का सामना करना पडा था, इसलिए उनका वर्गीकरण भेदभाव को बढावा देगा।

Result Mitra

- SC के 2004 में दिए गए फैसले के बाद चंडीगढ HC ने किशनपाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया।

दविंदर सिंह VS पंजाब राज्य :

- 2006 में पंजाब सरकार की अधिसूचना रद्द किए जाने के बाद पंजाब सरकार ने पंजाब SC और पिछडा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) एक्ट, 2006 पारित किया, जो पूर्व के अधिसूचना को पुनर्स्थापित करता था।
- 2010 में पुनः चंडीगढ HC ने इसे रद्द कर दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने SC में अपील किया।
- इस मामले में SC ने संवैधानिक पीठ के पास मामले को यह निर्धारित करने के लिए भेजा कि क्या चिन्नैया मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- चिन्नैया मामले पर पुनर्विचार करते हुए न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने माना कि 2004 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- फैसले में कहा जाता है कि राज्य केवल राष्ट्रपति बनकर नहीं रह सकते एवं कठोर सच्चाई को जानते हुए आँखे बंद कर नहीं रह सकते।
- फैसले में कहा गया था कि SC एक समरूप जातियों का समूह नहीं है और इसमें भी आर्थिक -सामाजिक एवं शैक्षणिक असमानताएं विद्यमान है।
- इस फैसले के बाद क्रीमीलेयर की जो अवधारणा पिछडे वर्ग (OBC) से संबंधित है, वह SC में भी आ गई है।

जरनैल सिंह VS लक्ष्मी नारायण गुप्ता :

- 2018 के इस फैसले में SC में क्रीमी लेयर के सिद्धांत को बरकरार रखा गया।
- क्रीमी लेयर की अवधारणा आरक्षण के पात्र लोगों पर आय-सीमा का निर्धारण करता है।
- क्रीमी लेयर का मामले में पहली बार 2018 में SC पदोन्नति में लागू किया गया।
- राज्यों ने तर्क दिया कि उप-वर्गीकरण वास्तव में OBC के क्रीमी लेयर अवधारणा का ही अनुप्रयोग है, जिसमें SC के बेहतर जातियों को आरक्षण से बाहर किए जाने के बजाय कमजोर SC वर्गों को वरीयता देना है।

7 सदस्यों की बेंच क्यों ?

- चूँकि पूर्व में चिन्नैया मामले और दविन्दर सिंह मामले में 5 सदस्यों वाली संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था, इसलिए इस मामले में 7 सदस्यों की संवैधानिक पीठ की आवश्यकता थी।

फैसले का प्रभाव :

- फैसले से SC की निम्न वर्ग के लोगों पर सकरात्मक प्रभाव पडेगा, जिसमें शामिल है -

1. पंजाब में वाल्मीकि एवं मजहबी सिख समुदाय,
2. आंध्र प्रदेश में मदिगा समुदाय,
3. बिहार में पासवान समुदाय,
4. तमिलनाडु में अरूंधति समुदाय,

तर्क-दलीलें :

- पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि SC ने चिन्नैया मामले में फैसला देते हुए यह गलती की थी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद-341 के तहत किसी वर्ग की सूची में शामिल किये जाने के मामले में राज्य कुछ नहीं कर सकता है।
- उन्होंने संविधान के अनुच्छे 16(4) की भाषा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "अनुच्छेद राज्य को पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है, जिनका राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है"।
- गुरमिंदर सिंह ने तर्क देते हुए कहा कि अनुच्छेद में 'समान रूप से' के बजाय 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' वर्णित है, इसलिए इस अनुसूची में शामिल प्रत्येक समुदाय को समान अवसर प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है।
- पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता शादान फरासत ने कहा कि संविधान में हाल ही में शामिल किए गए अनुच्छेद 342A में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब चिन्नैया मामले का निर्णय लागू नहीं है।
- यह प्रावधान राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग की एक सूची बनाने का अधिकार देता है, जो राष्ट्रपति की सूची से भिन्न हो सकता है।
- पूर्व अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) के. के. वेणुगोपाल ने भी SC के उपवर्गीकरण के पक्ष में तर्क दिया।

- उन्होंने कहा कि उपवर्गीकरण के बिना, समाज के सबसे कमजोर वर्ग पीछे रह जाएंगे और ऐसे में आरक्षण का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।
- प्रतिवादियों के पक्ष के वकील संजय हेगडे ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए सूची में शामिल सभी समुदाय "अस्पृश्यता के दाग" से पीडित है, साथ ही संविधान सभा ने यह तुलना करने का विकल्प नहीं चुना कि सबसे ज्यादा पीडित कौन है, इसलिए उपवर्गीकरण ठीक नहीं है।

संवैधानिक पीठ :

- जब भी किसी ऐसे मामले, जिसमें संविधान से संबंधित किसी तत्व का वर्णन करना होता है, तो SC की संवैधानिक पीठ के पास मामला जाता है।
- इस पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या 5 होती है।
- SC में ज्यादातर मामलों की सुनवाई 2 न्यायाधीशों जिन्हें खंडपीठ या डिवीजन बेंच कहा जाता है तथा 3 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा सुनाई जाती हैं।

क्रीमीलेयर का सिद्धांत :

- यह अवधारणा वर्ष 1992 में इंद्रा साहनी मामले में दिए गए फैसले से उत्पन्न हुई।
- दरअसल मंडल आयोग की सिफारिश पर वी. पी. सिंह सरकार ने अगस्त 1990 को सिविल पदों और सेवाओं में पिछडे वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान लागू किया।
- इसी फैसले को इंद्रा साहनी और अन्य के द्वारा SC में चुनौती दी गई।
- 16 नवंबर 1992 को दिए गए फैसले में 9 न्यायाधीशों की पीठ ने (अध्यक्षता वी. पी. जीवन रेड्डी) क्रीमीलेयर या OBC में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से उन्नत सदस्यों को आरक्षण से बाहर करने के अधीन 27% आरक्षण को बरकरार रखा ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें मिले, जिनको इसकी ज्यादा आवश्यकता है।

OBC में क्रीमीलेयर की पहचान :

- क्रीमीलेयर निर्धारित करने का मानदंड सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम नंदन प्रसाद की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था, जो इंद्रा साहनी फैसे के बाद गठित किया गया था।
- समिति द्वारा 10 मार्च 1993 को भेजे अपनी संस्तुति के आधार पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने 6 श्रेणियों के लोगों सूचीबद्ध किया, जिनके बच्चों को क्रीमीलेयर में माना जाएगा।

1. संवैधानिक/वैधानिक पद,
2. केन्द्र या राज्य सरकार में ग्रुप-A और ग्रुप-B के अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, वैधानिक निकायों एवं विश्वविद्यालय के कर्मचारी,
3. सशस्त्र बलों में कर्नल या उससे ऊपर एवं अर्द्धसैनिक बलों में इसके समकक्ष,
4. डॉक्टर, प्रबंधक, वकील, इंजीनियर जैसे पेशेवर
5. कृषि जोत/खाली जमीन/इमारतों के मालिक
6. आय/संपत्ति कर निर्धारण

Note - 6 श्रेणी में पहला और दूसरा समूह अपने-आप क्रीमीलेयर में शामिल होता है, जबकि अन्य का निर्धारण आय-सीमा के आधार पर होता है।

Result Mitra

आय-सीमा :

- मूल रूप से 1 लाख वार्षि आय,
- प्रत्येक तीन वर्षों में संशोधन का प्रावधान,
- 2017 में आय की सीमा बढाकर 8 लाख/वार्षिक की गई ।
- 2017 में आय-सीमा में कोई संशोधन नहीं।
- राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग द्वारा 2015 में आय-सीमा को बढाकर 15 लाख/वार्षिक करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इस पर कोई कारवाई नहीं की गई है।